कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी–3/भौगकृ/भौतिक/स्थानांतरण/2019 दिनांक–29.09.2019 के तहत् श्री मनीष कुमार बंगाली, व्याख्याता (भौतिक विज्ञान) राउमावि ढोढसर (जयपुर) का स्थानांतरण श्री महावीर राउमावि बीजापुर (पाली) किया गया। श्री मनीष कुमार बंगाली ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 3540/2019 श्री मनीष कुमार बंगाली बनाम राज. सरकार एवं अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 3540/2019 में माननीय अपील अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.12.19 द्वारा अपीलार्थी श्री मनीष कुमार बंगाली को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार अपीलार्थी से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर इसे विभागीय दिशा निर्देशों एवं नियमों के अन्तर्गत संबंधी आदेश दिए।

अपील अधिकरण निर्णय के क्रम में अपीलार्थी श्री मनीष कुमार बंगाली द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी अक्सर बीमार रहने वाली माताजी एवं छोटी बच्चे के देखभाल करने के आधार पर अपना पदस्थापन 1. राउमावि देहरा (जोबनेर) जयपुर 2. राउमावि श्रीमाधोपुर (सीकर) की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.12.2019 एवं राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। यह विधि सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकार पूर्वक नहीं की जा सकती। अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। अपीलार्थी नवीन स्थानान्तरित स्थान पर दिनांक 18.10.19 को कार्यग्रहण कर चुका है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।

(हिमांशु गुप्ता)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/सी–3/भौगकृ/अभ्यावेदन/मनीष कुमार बंगाली/को.के/18–19 **दिनांकः** 20.12.2019

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्राधानाचार्य
9. संबंधित कार्मिक
10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

D:/17.12.16/desktop/court